

दतिया विधायक घनश्याम सिंह ने ली विधायक पद की शपथ

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिलाई शपथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार समेत कई नेता रहे मौजूद

पीपुल्स प्रवक्ता दतिया।

दतिया विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह ने रविवार को मध्यप्रदेश विधानसभा भवन में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से पहले विधायक घनश्याम सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने मां पीतांबरा की तस्वीर एवं प्रसाद भी भेंट किया। शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक घनश्याम सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं अंगवस्त्र पहनाकर शुभकामनाएं दीं। विधानसभा की ओर से उन्हें लैपटॉप एवं अन्य सामग्री भी प्रदान की गई।

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण: कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, महेंद्र बौद्ध एवं प्रभु सिंह ठाकुर, विधायक फूल सिंह बैरैया, पूर्व



विधायक रामचन्द्र दांगी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा दतिया महाराजा अरुणादित्य देव, राजेश्वर शरण सिंह देव, माण्डवी कुमारी, जिला संगठन प्रभारी रामलखन डंडेलिया, पीसीसी महासचिव प्रशासन राजीव सिंह, कांग्रेस महासचिव अवधेश नायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस

पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व जनपद अध्यक्ष अशोक दांगी, जिला महासचिव अनंद शर्मा, महिला कांग्रेस महासचिव रचना शेर सिंह, वरिष्ठ नेता शेर सिंह, पूर्व जनपद सदस्य मूलचंद मिश्रा, एडवोकेट शंभू गोस्वामी सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के बाद बुटला, पूर्व जिला प्रवक्ता जितेंद्र सिंह पठारी, पूर्व जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष

विष्णु गुर्जर, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋषभ राजा गुर्जर, सेवादल जिलाध्यक्ष मोहन कुशवाहा, पूर्व जनपद सदस्य वनमाली पाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केपी यादव, पूर्व जनपद सदस्य मूलचंद मिश्रा, एडवोकेट शंभू गोस्वामी सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के बाद समर्थकों एवं कांग्रेस नेताओं ने विधायक घनश्याम सिंह को शुभकामनाएं दीं।

7 माह से फरार 5 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, आरोपी के कब्जे से चार पहिया वाहन भी जब्त

पीपुल्स प्रवक्ता दतिया।

फरार एवं इनामी आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 माह से फरार चल रहे 5 हजार के इनामी आरोपी विजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी आबकारी एक्ट के एक प्रकरण में लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।

पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह चावला एवं एसडीओपी आकांक्ष जैन के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी। इसी दौरान मुखबिर तंत्र एवं उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी की पतारसी कर उसे 5 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी एक्ट के प्रकरण



में था फरार:गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय कुमार गुप्ता पुत्र राम किशोर गुप्ता, निवासी ग्राम उंचिया, हाल निवासी गंजी के हनुमान जी, दतिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपराध क्रमांक 56/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में करीब सात माह से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार का इनाम घोषित था।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से

एक चार पहिया कार भी जब्त की है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश राजपूत, जलक 15 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार आज डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। मरीजों से अधिक रही, जो प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर प्रयासों और मरीजों के स्वस्थ होने की स्थिति को दर्शाती है।

मिट्टी गणेश सिद्ध गणेश प्रशिक्षण सम्पन्न



पीपुल्स प्रवक्ता अशोक नगर।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड अशोकनगर द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत रूढ़ि व ऋद्धि के समस्त विद्यार्थियों को पर्यावरण शुद्धता का संदेश देते हुए

जिनके द्वारा सभी विद्यार्थियों को माटी की गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। विकासखंड समन्वयक श मनोज यादव जी ने माटी गणेश की महत्त्वता एवं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की दृष्टि कक्षा में छात्रों ने मिट्टी के गणेश जी बनाना सिखा, विद्यार्थी डुडूझ, प्रोफाइल, सज्जेक्ट चयन तथा पर्यावरण के

माटी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माय युवा केंद्र जिला अधिकारी मैडम श्रेया कंडोला जी उपस्थित रही एवं माटी के गणेश बनाने की प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक शद्य लक्ष्मीराम प्रजापति उपस्थित रहे ।

लिए हस्क्र्क प्रतियोगिता की गतिविधियां कराई गई दृष्टि इस अवसर पर मैटर्स श्री गिरराज शर्मा, श्री गणेशराम अहिरवार,श्री बलवीर यादव, श्रीमती मंजू सतव व श्री नरेंद्र बंजारा, नवांकुर सखी सहित छात्र -छात्राएं उपस्थित रहे ।

बीमारी प्रभावित कुंडेकसा में 127 बैगा परिवारों तक पहुंची राहत सामग्री नगरपालिका मलाजखंड ने वितरित की मच्छरदानियां, पौष्टिक खाद्य सामग्री एवं बच्चों के कपड़े

पीपुल्स प्रवक्ता जबलपुर।

बिरसा विकासखंड के बीमारी प्रभावित ग्राम कुंडेकसा में आज नगरपालिका मलाजखंड के सौजन्य से प्रभावित बैगा परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत अडोरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंडेकसा में बीमारी से प्रभावित 127 बैगा परिवारों को आवश्यक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराई गई, ताकि परिवारों को बीमारी से बचाव के साथ-साथ दैनिक जरूरतों में भी सहूलियत मिल सके। राहत सामग्री वितरण के दौरान प्रत्येक परिवार को दो मच्छरदानियां, मोटी दलिया-खिचड़ी के दो पैकेट, बच्चों के लिए दो लोवर, दो टी-शर्ट तथा मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती प्रदान की गई। बीमारी प्रभावित परिवारों को मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियों का



वितरण विशेष रूप से उपयोगी माना जा रहा है। वहीं बच्चों के लिए पौष्टिक खाद्य सामग्री एवं कपड़े उपलब्ध करारक उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा गया। राहत

सामग्री मिलने से ग्रामीण परिवारों में खुशी दिखाई दी। ग्रामीणों ने बीमारी के दौर में परिवारों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने की लिए नगरपालिका मलाजखंड एवं सहयोगी

टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। बीमारी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य, पोषण एवं राहत संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है।

जहरीली शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई. 119 लीटर कच्ची शराब जब्त 1000 लीटर गुड़ लाहन मौके पर नष्ट, 9 प्रकरण दर्ज; 5 आरोपी गिरफ्तार

पीपुल्स प्रवक्ता दतिया।

सागर जिले में जहरीली शराब की घटना के बाद दतिया जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने अवैध एवं जहरीली शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड्डादस्ता संदीप शर्मा के निर्देश पर रविवार को जिले में व्यापक दबिश कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी रामकुमार सूत्रकार के मार्गदर्शन और आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी अनिरुद्ध खानवलकर के नेतृत्व में वृत्त दतिया 'अ', दतिया 'ब' एवं संवर्द्ध क्षेत्र में अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने 5 ड्रमों में करीब 1000 लीटर गुड़ लाहन बरामद कर सैल लेने के बाद मौके पर ही नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान 119 लीटर कच्ची हाथ भट्ठी शराब भी जब्त की गई। आबकारी विभाग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधन 2000) की धारा 34(1) एवं 34(1) के तहत कुल 9 प्रकरण दर्ज कर



5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। विभाग के अनुसार जब्त एवं नष्ट की गई सामग्री तथा शराब की अनुमानित कीमत 1 लाख 73 हजार 800 रुपए है। आबकारी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध और जहरीली शराब के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक ध्वनि भदौरिया,

आबकारी मुख्य आरक्षक विकास पाठक, आबकारी आरक्षक मनीष यादव एवं विकास साहू सहित वाहन चालकों का सहाय्यीय योगदान रहा।

अशोकनगर जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जुलूस-रैली, प्रदर्शन एवं आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध

पीपुल्स प्रवक्ता अशोकनगर।

कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला अशोकनगर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए 05 सितम्बर 2026 से आगामी आदेश तक आदेश जारी किया गया है। कोई भी व्यक्तिगत संस्था राजनैतिक दल संगठन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से सम्पूर्ण जिला अशोकनगर की राजस्व सीमाओं में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिए बिना किसी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस, रैली, प्रदर्शन, आम सभा, धरना प्रदर्शन आदि नहीं होंगे।

ऐसे जनसमूह जो एकात्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं, प्रतिबंधित होंगे।किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संसारण प्रतिबंधित होगा।जिले के सम्पूर्ण

क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डोल, धमाको, वाद्य-यंत्रों का उपयोग बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के नहीं किया जावेगा।लोक प्रशांति बनाये रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, ट्विटर अन्य एप्लीकेशन आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रेषित, कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर धार्मिक सामाजिक व्यक्तिगत जाति या संप्रदाय से संबंधित आपत्तिजनक एवं अश्लील संदेशों को प्रेषित, कमेंट, लाइक, शेयर, या फॉरवर्ड नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति ऐसा साहित्य, ग्रन्थ, पुस्तक या पत्रांचो किसी अन्य धर्म की भावनाओं को आहत करता हो, धार्मिक विद्वेष की टिप्पणी करता हो या किसी अन्य धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार प्रसार करता

हो, ऐसा कोई भी ग्रन्थ आपत्तिजनक माना जायेगा ऐसी सामग्री के प्रसार अथवा प्रकाशन से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मोड़कर भडकाकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही कमेंट, लाइक, शेयर, फॉरवर्ड करेगा। उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी प्रकार की पोस्ट व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर रूप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पोस्ट नहीं करे, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो रूप एडमिन उक्त पोस्ट को डिलीट कर संबंधित व्यक्ति को रूप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा, ऐसा न करने पर रूप एडमिन भी जबाबदार होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति संगठन संस्था समूह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंज्ञित अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

रामगढ़ कंजर डेरा पर भाण्डेर पुलिस की दबिश, 2 हजार लीटर लहान नष्ट महिला-पुरुष मौके से मिले गायब, 10 ड्रम में रखा लहान किया नष्ट; कीमत करीब 50 हजार रुपए

पीपुल्स प्रवक्ता भाण्डेर।

अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भाण्डेर पुलिस ने रविवार को रामगढ़ कंजर डेरा पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में लहान नष्ट किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान डेरा पर महिला एवं पुरुष मौके पर नहीं मिले।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक दतिया मयूर खंडेलवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह चावला के निर्देशन तथा एसडीओपी भाण्डेर पुनम चन्द्र यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक सपना शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रामगढ़ कंजर डेरा पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके पर 10 ड्रमों में करीब 2 हजार लीटर लहान बरामद हुआ। पुलिस ने लहान का सैल लेने के बाद उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस ने नष्ट



किए गए लहान की अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी भाण्डेर निरीक्षक सपना शर्मा के साथ आरक्षक रामजुहार कुशवाह, प्रभार 489

रामेश्वर, प्रभार 568 राहुल बिछोलिया, आरक्षक 802 महेश कोरव, आरक्षक 792 मिथुन यादव एवं आरक्षक 408 दीपक यादव की अहम भूमिका रही।